प्रेस नोट सं0-10

दिनांक- 09.08.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पुलिस पार्टी पर फायर करने/गैगेंस्टर एक्ट के अभियुक्तों को मा0न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 40,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण मे अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहें अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी /न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु0अ0सं0 144/145/2002 धारा 143,307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में थाना व जनपद अमेठी के अभियुक्तगण 1- हकीमुद्दीन उर्फ बच्चा, 2- निजामुद्दीन, 3- रियाजुद्दीन, 4- कमालुद्दीन पुत्रगण गफ्फार खां नि0गण बेनीपुर थाना व जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/गैंगेस्टर कोर्ट सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 08.08.2025 को धारा 143 भादवि में 06 माह सश्रम कारावास व 5000 रु0 अर्थदण्ड तथा धारा 3(1)यू0पी0 गैगेंस्टर एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 20,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा उक्त अभियुक्त हकीमुद्दीन उर्फ बच्चा को धारा 307 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रु0 अर्थदण्ड व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा श्री गोरख सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अमेठी द्वारा दिनांक 25.04.2002 समय 18.25 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी पर हमला करना व फायर करने पर मु0अ0सं0 144/145/2002 धारा 143/307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3(1)यू0पी0 गैगेंस्टर एक्ट थाना अमेठी पर पंजीकृत होकर विवेचक थानाध्यक्ष संग्रामपुर श्री अनन्त प्रसाद तिवारी द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त,आरोप पत्र संख्याः ए-91 दिनांक 03.09.2002 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।